"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 92-अ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2002—चैत्र 25, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/37/2002/वा.क./पांच (48).—चूंकि राज्य शासन का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-22-99-विक-पांच (56), दिनांक 31-5-99 में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

1. अधिसूचना में अंकों "31-3-2002" के स्थान पर अंकों "31-3-2003" को प्रतिस्थापित किया जायेगा.

2. उपरोक्त संशोधन दिनांक 1-4-2002 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ-10/37/2002/वा. क./पांच (48).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/37/2002/वा. क./पांच (48), दिनांक 15-4-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 15th April 2002

NOTIFICATION

No. F-10/37/2002/CT/V (48).—In exercise of the powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), the State Government hereby amends the Notification No. A-3-22-99-ST-V (56), dated 31-5-99 as given below :—

AMENDMENT

1. In the Notification for figures "31-3-2002", the figures "31-3-2003" shall be substituted.

2. Above amendment shall be effective from 1-4-2002.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.